भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3793

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

3793. श्रीमती हेमामालिनी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी हेतु उपाय सुझाने के लिए कोई उच्चस्तरीय पैनल गठित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल की संरचना क्या है;
(ग) क्या उक्त पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं और सिफारिशें क्या हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो पैनल द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी के लिए उपाय सुझाने हेतु दिनांक 03 फरवरी, 2015 को श्री अनिल बैजल, पूर्व केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था। समिति ने दिनांक 22 सितंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति का गठन और सिफारिशों सहित इसकी रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं। समिति ने सीएसआर पहल-प्रयासों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सिफारिशों के अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों और नियमों में कुछ संशोधनों की सिफारिश भी की थी। यद्यपि समिति की सिफारिशें, बोर्ड और सीएसआर समिति को अपने स्तर पर स्वयं के सीएसआर की निगरानी करनी चाहिए और कंपनियों के सीएसआर व्यय की गुणवत्ता और कुशलता की निगरानी के लिए बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, उस मंत्रालय की ओर से किसी विशेष कार्रवाई पर विचार

नहीं किया है तथापि मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की धारा 135 के संशोधन शामिल किए हैं, प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया है तथा वार्षिक 'राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार' प्रारंभ किया है।

*****